## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt. No B/2626../ III-6-2/2018

Jabalpur, dated 14/05/2018

The copy of Notification of the State Government, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal no. F.No. 17(E)/222018/21-B(1)/1219/2018 dated 08-05-2018 is forwarded to :-

- 1. The Deputy Controller, Government Printing Press, Arera Hills, Habibganj, Bhopal for Publication in the next issue of the M.P. Gazette,
- 2. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
- 3. The District and Sessions Judge, all in the State, for information and necessary action,
- 4. Shri/Smt....
- 5. Deputy Registrar, (Confdl), Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,
- 6. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
- 7. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

For information and appropriate action.

VARUN PUNASE

## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

## अधिसूचना

भोपाल दिनांक 08.05.2018

फा.कं. 17(ई)22/2018/21—ब(एक)1219/2018 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 के पालन में मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरूद्ध रिजस्ट्रीकृत अपराधों के विचारण हेतु इक्कीसवें अपर सेशन न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है।

## **NOTIFICATION**

F.No. 17(E)22/2018/21-B(1)1219/2018 – In compliance of the Order passed on 14-12-2017 by the Hon'ble the Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016. Ashwani Kumar Upadhayay vs. Union of India & Others the Government Madhya Pradesh in Consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court Madhya Pradesh, hereby, designate the Court of XXIth Additional Session Judge, Bhopal as a Special Court to try the offences registered against the Member of Parliament and Member of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(आर.के. वाणी) प्रभारी प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

पृ.कं. 17(ई)22 / 2018 / 21—ब(एक)1219 / 2018 भोपाल, दिनांक 08 / 05 / 2018 प्रतिलिपि:—

- 1. सचिव, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, नई दिल्ली की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र कं. 11017/8/2017—JUS-II, दिनांक 23 फरवरी 2018 के संदर्भ में,
- 2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर अधिसूचना कं. बी / 1187, दिनांक 26.02.2018 के संदर्भ में,
- 3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणायल भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग–1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित () केवल मुद्रणायल के लिये।
- 5. शाखा प्रभारी, आई.टी. शाखा विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत् प्रेषित।

(नवीन कुमार सक्सेना) सचिव मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग